

हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज०

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 25 / 2022

दिनांक : 4-5-22

श्री नन्दलाल पिता भंवरलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मण्डा गुलफरोशान तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

.....प्रार्थी

// वनाम //

1. उंकारलाल पिता केसरीमल जी जाति जाट आयु 45 साल निवासी मण्डा गुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
2. गोरीलाल पिता पृथ्वीराज जी जाति जाट आयु 50 साल निवासी मण्डा गुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
3. शिवदयाल पिता देवजी पुर्विया जाति पुर्विया आयु 55 साल निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
4. मोहनलाल पिता हेमराज जी जाति रावत आयु 50 साल निवासी सांपलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
5. अण्छी बाई पत्नि भुरालाल जी जाति माली आयु 60 साल निवासी मण्डा गुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
6. मोहनलाल पिता प्रताप जी जाति भील आयु 60 साल निवासी मण्डा गुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

.....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा०ले०रे० एक्ट

प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज०

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा ग्राम मण्डा गुलफरोशान प०ह० रानीखेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावदा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० की खाता संख्या नया 160 जिसके आ० न० 203 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आ०न० 204 रकबा 0.1600 है०, आ०न० 451 रकबा 1.3200 है०, आ०न० 452 रकबा 0.0400 है०, आ०न० 453 रकबा 0.0800 है० स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फीस पत्थरगढी रूपया 1600/- प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 1-6-22 को पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 4-5-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।



अ.प.

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)